::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्याः–8बी/यू0सी0पी0/06/226/2016/एफ0सी0 1710 दिनांक 01.05.2019 में उल्लेख किया गया है कि जिसकी शर्त सं0 01 में उल्लेख किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.634 हे0 ग्राम रौतू की बेली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10वर्षो तक रखखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।

उक्त के कम में अधिशासी अभियंता, अ0ख0 लोक निर्माण विभाग, थत्यूड के द्वारा कार्यालय पत्र सं0 1106/21 सी0/दिनांक 14.05.2024 के द्वारा विषय वर्णित मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम रौतू की बेली सिविल भूमि खसरा सं0 3049 मध्ये 2.028हे0 भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु अनुरोध किया गया है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क0 सं0	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्वा (हे0)	भूमि की किस्म
	1	2	3	4	5	6
01	रौतू की बेली	दशज्यूला	34	3049म0	**2.028हे0**	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड़
				योग	**2.028हे0**	

प्रस्तावित रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्याः2882/XXIII(II)/11–18(120)/2010 दिनांकः 11नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्याः 2365/XXIII(II)/13–18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांकः 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:2173 / XXIII(II) / 2012–18(120) / 2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक:17 दिसम्बर 2012 के कम मे उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित की गयी उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा–2.028 हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है, तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित / इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(मयूर दीक्षित)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

<u>कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।</u>

संख्याः 237 / XXVI– 5 (2013–2014) दिनांक नई टिहरी मई 21, 2024

प्रतिलिपिः:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1:–सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2:–सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3:–आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद देहरादून।
4:–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5:–नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
6:–प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
7:–अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़।
8:–उप जिलाधिकारी धनोल्टी ।
9:–तहसीलदार धनोल्टी।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

नकल ज० बिरुद्ध खतौनी मौजा-रौंदू की बेली, पट्टी-दशज्यूला तह:-घनोल्टी

खाता सं.	नाम खातेदार मयवल्दियत	काबिज	खसरा नं.	रकबा (हे०)	विवरण विशेष
34	वर्ग 9(3) ङ. बंजर उत्तराखण्ड सरकार	हाल	1.	0.083	आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 237/XXVI-5(2013-14) दिनांक नई दिल्ली मई 21, 2024 के ग्राम रौंदू की बेली में खाता सं. 34 में दर्ज खसरा नं. 3049 म० 2.028 है० भूमि प्रस्तावित रौंदू की बेली से चलीघाट मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने का आदेश है आदेश दर्ज किया 29/05/2024
		बंजर	14.	0.044	
		पहली	41	0.004	
		से 6	44	0.030	
			3049	2.634	
			3052	0.247	
			3056	0.023	
			3080	0.161	
			5217	0.020	
			5221	0.023	
			5224	0.026	
			5238	0.033	
		योग	442	59.578 है०	

नकल असल के है

30/05/2024 राजस्व उपनिरीक्षक
ब्रह्मसारी